

नगर पालिका, सिंधाना

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/Singhana/FIRENOC/2025-26/51503

जारी दिनांक:

25-JUN-2025

वैधता दिनांक:

24-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAHISH KUMAR

आवेदक का पता: VILL-DHANI PITHOLA , SINGHANA,JHUNJHUNU-RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन CAMBRIDGE KIDS GARDEN PUB SCHOOL SIMANI, RUN BY CAMBRIDGE SHIKSHA SAMITI, SIMANI, BUHANA SINGHANA ROAD, , JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वैधता तिथी की अवधि तक ही मान्य होगा। उसके पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविश्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा। का पालन करना आवश्यक होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिंशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रार्किंग कर्मचारी रखने होगे तथा एएमसी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सकें इसके लिए प्रर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति जलालील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृश्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर लुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, सिंधाना